संख्या-23/2016/446/26-3-2016-246सी0एम0/2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 05 फरवरी 2016

विषय: समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्वांत।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-141/2015/5068/26-3-2015 दिनांक 23 नवम्बर 2015, जो आपको भी सम्बोधित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समाज कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय आश्रम पद्वति विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा कराये जाने के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्वांत निर्गत किये गये हैं।

उक्त मार्गदर्शी सिद्वान्त के प्रस्तर संख्या 5 में प्रश्न पत्रो का प्रेषण एवं रख रखाव तथा प्रस्तर संख्या-7 में परीक्षा उपरान्त उत्तर पुस्तिकाओं (ओ0एम0आर0) के सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिये जा चुके है तथापि कतिपय जनपदों के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा प्रश्नपत्रों तथा ओ0एम0आर0 सीट के रख रखाव के सम्बन्ध में कतिपय पृच्छायें की गयी हैं, जिसका स्पष्टीकरण निम्नवत है -

1- सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु परीक्षा सामग्री सम्बन्धित जनपदो के प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को विलम्बतम दिनांक 11 फरवरी 2016 तक उपलब्ध करायी जायेगी जहां इसे जनपदीय कोषागार के डबल लांक में रखा जायेगा। परीक्षा के दिन कोषागार के डबल लॉक से प्रश्न पत्र तथा ओ0एम0आर0 सीट सील्ड कवर में सम्बन्धित जनपद स्तरीय समिति द्वारा अधिकृत अधिकारी प्राप्त करेगें तथा अपनी देख रेख में परीक्षा केन्द्र पर विलम्बतम प्रातः 09:00 बजे तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगे।

2- परीक्षा उपरान्त सभी विकास खण्डों/नगरीय क्षेत्र परीक्षा केन्द्र से प्राप्त ओ0एम0आर0 के सील्ड पैकेटों को प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा जिला समाज कल्याण अधिकारियो द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर जनपदीय कोषागार के डबल लॉक मे रखा जायेगा। प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अधिकृत अधिकारी ओ0एम0आर0 के सील्ड पैकेटों को कार्यालय सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद को विलंबतम परीक्षा समाप्ति के 24 घंन्टे के अन्दर सुरक्षित प्राप्त कराना सुनिश्चित करेगें।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0संख्या-23/2016/446/26-3-2016-246 सी0एम0/2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, समाज कल्याण/जनजाति कल्याण, उ0प्र0 ।
2-निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
4- राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
5- सचिव/परीक्षा नियामक प्राधिकारी उ0प्र0 इलाहाबाद
6- समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0।
7- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
8- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी उ0प्र0।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।